

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व अहकाम हुक्म की में जा
6/9/17	<p>पत्रावली पेश हुई। वकूलाय सप, अनुपस्थित / पीठासीन अधिकारी को पत्र / अन्य कार्य में बास्त। पत्रावली पूर्व आपत्तुकार आईन्दा दिनांक 25/10/17 को पेश हो</p>	
25/10/17	<p>इच्छावली पेशी देने पर पत्रावली आज पेश हुई। अधिपस्तागण द्वारा अपस्त वकूलाय का वकूलाय देने के कारण अधिप कार्यवाही हेतु दिनांक 6/12/17 को पेश हो।</p>	
6/12/17	<p>पत्रावली पेश हुई। वकूलाय सप, अनुपस्थित / पीठासीन अधिकारी को पत्र / अन्य कार्य में बास्त। पत्रावली पूर्व आपत्तुकार आईन्दा दिनांक 15/12/17 को पेश हो</p>	
15/12/17	<p>पत्रावली पेश हुई। वकूलाय सप, अनुपस्थित / पीठासीन अधिकारी को पत्र / अन्य कार्य में बास्त। पत्रावली पूर्व आपत्तुकार आईन्दा दिनांक 25/12/17 को पेश हो</p>	
25/12/17	<p>पत्रावली पेश हुई। वकूलाय सप, अनुपस्थित / पीठासीन अधिकारी को पत्र / अन्य कार्य में बास्त। पत्रावली पूर्व आपत्तुकार आईन्दा दिनांक 5/1/18 को पेश हो</p>	
5-1-18	<p>पत्रावली पेश हुई। वकूलाय सप, अनुपस्थित / पीठासीन अधिकारी को पत्र / अन्य कार्य में बास्त। पत्रावली पूर्व आपत्तुकार आईन्दा दिनांक 7-2-18 को पेश हो</p>	
7/1/18	<p>पत्रावली पेश हुई। वकूलाय सप, अनुपस्थित / पीठासीन अधिकारी को पत्र / अन्य कार्य में बास्त। पत्रावली पूर्व आपत्तुकार आईन्दा दिनांक 24-1-18 को पेश हो</p>	

कम

हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तालीम
में जारी हुए

2/18

पत्रावली पेश हुई। वृद्धलाय सप.
अनुपस्थित/ पीठारी अधिकारी
कोर्ट में पेश हो गई।
पत्रावली को न्यायाधीश आदेशों
दिनांक 7.3.18 को पेश हो

7.3.18

पत्रावली पेश हुई। वृद्धलाय सप.
अनुपस्थित/ पीठारी अधिकारी
कोर्ट में पेश हो गई।
पत्रावली को न्यायाधीश आदेशों
दिनांक 14.3.18 को पेश हो

14.3.18

पत्रावली पेश हुई। वृद्धलाय सप.
अनुपस्थित/ पीठारी अधिकारी
कोर्ट में पेश हो गई।
पत्रावली को न्यायाधीश आदेशों
दिनांक 14.3.18 को पेश हो

13/18

इकजाही पेशियों से पत्रावली आज उच्च
कोर्ट रीवांस में पेश हुई। प्रकरण में कई बार
आवाज लगावाई गई। वृद्धलाय उभय पक्ष अथवा
पक्षकारान में से कोई भी हाजिर अवागत नहीं
आया। अतः प्रकरण अदम हाजरी एवं अदम पैरवी
में खारिज किया जाता है। पत्रावली उरतल सुमार
होकर नम्बर से कम हो गया बाद तत्कालीन दायिम
दफ्तर है। निर्णय पुले न्यायालय में सुनाया गया।

फकीरुल्लाह शास्त्र
(RAS)
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) खानपुर

